निग-1574-PBR-16

राजस्व निगरानी क्रमांक .....।२०१६
प्रस्तुति दिनांक -२०१६

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म०प्र०) के समक्ष

प्रेमसिंह पिता श्री गणपतसिंहजी धाकड,
आयु ५३ वर्ष, व्यवसाय खेती,
निवासी ग्राम अहीरखेडी तहसील हातोद,
जिला इन्दौर (म०प्र०) --- प्रार्थी

विरूध्द

१- श्रीमती श्यामूबाई पति श्री कैलाश कलौता,
आयु वयस्क, व्यवसाय खेती व धरूकार्य,
निवासी बडा बांगडदा तहसील हातोद,
जिला इन्दौर (म०प्र०)

२- मनोहर पिता मांगीलालजी गुप्ता,
आयु वयस्क, व्यवसाय व्यापार,
निवासी सफलता स्कूल के सामने,
संत मार्ग, गांधीनगर, इन्दौर (म०प्र०)

३- वैभव पिता श्री मनोहरलालजी गुप्ता,
आयु वयस्क, व्यवसाय व्यापार
निवासी सफलता स्कूल के सामने,
संत मार्ग, गांधी नगर, इन्दौर (म०प्र०) --- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९

यह पुनरीक्षण माननीय तहसीलदार महोदय, हातोद जिला इन्दौर व्दारा राजस्व प्रकरण क्रमांक १५।अ-१३।१४-१५ (प्रमसिंह वि० श्रीमती श्यामूबाई व अन्य) मे पारित आदेश दिनांक ३०-३-२०१६ जिसके व्दारा प्रार्थी का आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ३२ म.प्र.भू. राजस्व संहिता का निरस्त किया से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण नीचे लिखे तथ्यो तथा आधारो पर सादर निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :-

R. 1574 - PBR/16 इन्दौर

18.5.2016 (3)	आवेदक की ओर से श्री एन०के० गंगवाल अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। तहसीलदार हातोद को निर्देश दिये जाते हैं कि वे 2 माह में आवश्यक रूप से प्रकरण का निराकरण करें। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होने से समाप्त किया जाता है। मूल दस्तावेज वापिस करें। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) 18/5/16